कार्यालय उपायुक्त (मुरलीपुरा जोन), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
क्रमांक मु.जो./नगिज/2025/4324, दिनांक- 17.02.25

सार्वजनिक सूचना

भूखण्ड सं. 69, शिव नगर, (शोपस्ताना देश गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरन द्वारा श्रीमती सुन्यार कँवर पत्नी श्री गुमान सिंह के नाम को क्षेत्रफल 200 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। प्रकरन में आवेदक श्री पियूष गोयल पुत्र श्री कमलेश गोयल एवं श्री कमलेश गोयल पुत्र श्री मुरारी लाल गोयल द्वारा शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), पंजीकृत पट्टा मय साइट प्लान की फोटो प्रति, रजि विक्रय पत्र एवं अन्य चैन दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का स्वयं के नाम से नाम हस्तांतरण चाहा गया है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड श्री पियूष गोयल पुत्र श्री कमलेश गोयल एवं श्री कमलेश गोयल पुत्र श्री मुरारी लाल गोयल के पक्ष में कुल क्षेत्रफल 200 वर्गगज का नाम हस्तांतरण जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तांतरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तांतरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त, मुरलीपुरा जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

आम सूचना

संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की सृजित योजना विधान सभा नगर ग्राम धौलाई के भूखण्ड संख्या D-171 अनिल कुमार जैन पुत्र शिखरचंद्र से विक्रय के लिए मैं विष्णु कुमार शर्मा पुत्र भगवत कुमार द्वारा इकरार नामा किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण-सहकारिता विभाग- विकास समिति अथवा अन्य व्यक्ति विशेष को आपत्ति हो तो मय दस्तावेज- सबूत के सात दिवस में दूरभाष पर सम्पर्क कर आवें। विज्ञापन के सात दिवस के बाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

क्रेता- विष्णु कुमार शर्मा मो.- 9610516360

लोक सूचना कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103311 दि.: 25.02.2025

मनोज कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद निवासी 2608, तेलीपाडा, चौडा रास्ता, जयपुर। जरिये मुख्यारआम श्री सत्यनारायण बैरीवाल पुत्र स्व. श्री रतनलाल बैरीवाल निवासी 31/32, शास्त्री नगर शॉपिंग सेन्टर, जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	क्षेत्रफल हैक्टे.
1.	मानपुर टीलावाला, सांगानेर (जयपुर)	मनोज कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद निवासी 2608, तेलीपाडा, चौडा रास्ता, जयपुर	230	24200	2.42
			231	3300	0.33
				कुल	2.75

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्धारण पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25-02-2025 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11), जविप्रा, जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण एवं हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना (साधारण प्रारूप)

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची संख्या 4

नाम अदालत सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट स्थान कोटा (उत्तर)

लोकेश विरुद्ध कँवरी बाई वगै.

वाद/प्रार्थना-पत्र : अनि.प्रा.,
सिविल वाद

प्रार्थना संख्या/वाद सं. : 89/2023, 92/2023

नाम- इन्द्रा बाई पत्नी बलवीर जाति खाती, पता- 20 उद्योग नगर, झोटवाड़ा, जयपुर

उक्त प्रार्थी/वादी ने इस अदालत में यह आवेदन किया है कि वादी द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर कोटा में वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जिसका उनवान लोकेश बनाम कँवरी बाई ने आपको उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए दिनांक **11.03.2025** को **10 बजे पूर्वान्ह** में उपस्थित होना है। उपस्थित नहीं होने पर आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी। सूचित हो। यह आज ता. 22 मास 01 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुद्रा

रीडर
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (उत्तर)

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही किया निस्तारण

बौंली-बामनवास । ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा के सभागार में सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर शुभम चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ गुरुवार रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीण महिला, पुरुषों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही निस्तारण किया।

जिला कलेक्टर ने मौके पर ही विकास अधिकारी जगदीश मीणा को निर्देशित कर तुरंत आवेदन फार्म की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद पेंशन जारी कर पीपीओ वितरित कराया, इस कार्रवाई से गरीब महिला की आंखों में आंसू झलक पड़े एवं उन्हें आशीर्वचन देते नजर आई। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को एग्रीस्टेक फार्मर रजिस्ट्री शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना सहित राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए ग्रामीणों से लाभ लेने की अपील की। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने

जिला कलेक्टर शुभम चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने विभाग के अधिकारियों के साथ रात्रि चौपाल आयोजित की।

उपस्थित अधिकारियों को संवेदनशील रहकर कार्य करते हुए बिजली, पेयजल, सड़क व अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए एवं अतिक्रमणों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार नीरू सिंह को मौका मुआयना कर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

रात्रि चौपाल के दौरान खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने सहित कुल 20

■ **आवेदन फार्म की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद पेंशन जारी करने के निर्देश दिए**

परिवाद प्राप्त हुए। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने उपस्थित बच्चों से संवाद कर बेहतर कैरियर निर्माण हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। एवं बच्चों से सवाल जवाब कर चॉकलेट वितरित की। आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर अनिल जैमिनी, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग बीएल मीना, अधीक्षक अभियंता जलदाय विभाग भगवान सहाय सहित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित थे।

मेले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन

टोंक। निवाई उपखंड की ग्राम पंचायत बड़ागांव में महाशिवरात्रि के दूसरे दिन 27 फरवरी गुरुवार से दो दिवसीय मेले में कई प्रतियोगिताएं हुई, मेले में आसपास के दो दर्जन से अधिक गांवो के हजारों लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मेले में पुलिस जाप्ता हेतु थाना दत्तवास से सहायक उप निरीक्षक गणपत सिंह, हैड.का. गणेश नारायण की देखरेख में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने व सुरक्षा को चाक-चौबंद रखा व मेले में भारी पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। मेले में नाल प्रतियोगिता, युवा दौड, बॉलीबॉल, घुड़दौड, कुश्ती दंगल प्रतियोगिता, युवा दौड़, घोड़ी दौड आयोजित हुई, जिसमें 65 किलो की नाल प्रतियोगिता में विजेता बसराम गुर्जर बोरखेड़ा व द्वितीय शिवराज गोठड़ा रहे।

खोया पाया

मेरे भूखण्ड संख्या 5ए, श्रीराम नगर का बदनपुरा (फकीरों की डूँगरी) गृह निर्माण सहकारी समिति लि. सोसायटी द्वारा जारी पट्टा, साईट प्लॉन, रसीद व अन्य दस्तावेज दिनांक 09.02.2025 को सोडाला के आसपास कहीं गिर गये है। मिलने पर सूचित करें-हेमन्त कुमार-9887016449

उद्घोषणा (इश्तिहार)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दूदू जिला जयपुर राज.

विधि दीवानी प्रोबेट प्रार्थना पत्र संख्या 01/25
उनवानी-ओमप्रकाश बनाम हर आम व खास
विषय-वसीयतनामा दिनांक 11.03.2003 मृतका अशरफा पत्नी करीम खान का प्रोबेट प्राप्त करने बाबत।

ओमप्रकाश पुत्र जगदीश, जाति यादव, निवासी झरना, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान। ...प्रार्थी

बनाम
हर खास व आम ...अप्रार्थी

पेशी दिनांक 12.03.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि खातेदार अशरफा पत्नी करीम खान ने अपनी सम्पत्ति के बाबत वसीयतनामा दिनांक 11.03.2003 को प्रार्थी के हक में निष्पादित किया है, अब प्रार्थी द्वारा उक्त वसीयतनामा दिनांक 11.03.2003 के आधार पर सम्पूर्ण भारत में प्रभावी होने वाला प्रोबेट प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 276 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पेश किया हैं।

उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 12.03.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक 27 माह 02 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से
अपर जिला सैंशन न्यायाधीश
दूदू जिला जयपुर

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली

निखिपल शर्मा बनाम हरखास आम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925
मुकदमा नम्बर C.M.05/25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निखिल शर्मा व अंकित शर्मा पिसरान स्व. दिनेश कुमार शर्मा निवासी सेवासिह की गली पुरानी सब्जी मंडी करौली तहसील व जिला करौली ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर मृतक इन्द्रा शर्मा पत्नि स्व. श्री दिनेश कुमार शर्मा निवासी सेवासिंह की गली पुरानी सब्जी मंडी करौली तहसील करौली द्वारा अपने जीवनकाल में ली गयी दी ओरियेन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लाईफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की राशि व पीएनबी बैंक गुलाब बाग करौली के बचत खाते में जमा राशि को प्राप्त करने के वास्ते अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। लिहाजा जिस किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में आपत्ति हो तो इस न्यायालय में नियत दिनांक 26.03.2025 समय प्रातः 10 बजे असालतन या बकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तत करे अन्यथा गुजरने उक्त दिनांक कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी एवं प्रार्थना पत्र का निस्तारण एकतरफा में सुनकर फैसल कर दिया जावेगा। वसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 11.2.2025 को जारी किया गया। आज्ञा से

मुहर

मुंसरिम जिला एवं सैशन न्यायाधीश करौली

कार्यालय नगरपालिका चाकसू जिला जयपुर (राज.)

क्रमांक :- न.पा.चा./2025/5272 दिनांक :- 27.02.2025

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका चाकसू द्वारा श्री रामजीलाल गोस्वामी पुत्र श्री केसर लाल गोस्वामी निवासी यूको बैंक सामने, अस्पताल रोड चाकसू को जारी पट्टा क्रमांक 385 दिनांक 23.12.2021 को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 73 (बी) के प्रावधानों के तहत एतद् द्वारा निरस्त कर दिया गया है। सूचित रहें।

राज.संवाद/सी/24/12430 अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, किशनगढबास, (खैरथल-तिजारा) (राज.)

क्रमांक-न.पा.किशनगढ/3354 दिनांक-28.02.2025

प्रारूप-10 (नियम (7) देखिए)

लोक सूचना

श्रीमती चन्द्रकला देवी पत्नि श्री राधेश्याम श्रीमती पिंकी देवी पत्नि श्री सुरेश, श्री मोहित कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, श्री शिवचरण पुत्र श्री राधेश्याम, श्रीमती सुनीता पत्नि श्री संजय कुमार, हिमांशी यादव पुत्री श्री सुरेश यादव निवासी दयालपुर तहसील किशनगढबास ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
खैरथल-तिजारा किशनगढबास	दयालपुर	180	1.0900 हैक्ट.

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त वर्णित समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 23.09.2024 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका किशनगढबास

फॉर्म नं. आईएनसी-२६
[कंपनी (निगमन) नियम, २०१४ के नियम ३० के अनुसार]
केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) के समक्ष पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई

कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३ की उप-धारा (४) और कंपनी (निगमन) नियम, २०१४ के नियम ३० के उप-नियम (५) के खंड (ए) के मामले में

और

कॉन्फिडेंटहायर प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U74999RJ2020PTC071235), जिसका पंजीकृत कार्यालय सी/ओ सतीश कुमार गुप्ता, पहली मंजिल जी साड़ी के ऊपर, शोरूम, खुराना चौक के पास, अलवर, किशनगढ़, राजस्थान, भारत, ३०१४०५ में है; उन के मामले में

-------- याचिकाकर्ता कंपनी

आम जनता को सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनी बुधवार, ५ फरवरी, २०२५ को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा १३ के तहत केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक), मुंबई को एक आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, ताकि याचिकाकर्ता कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय कंपनी रजिस्ट्रार, जयपुर के अधिकार क्षेत्र के तहत "राजस्थान राज्य" से कंपनी रजिस्ट्रार, पुणे के अधिकार क्षेत्र के तहत "महाराष्ट्र राज्य" में बदलने में सक्षम बनाया जा सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित याचिकाकर्ता कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके या तो एमसीए- २१पोर्टल (www.mca.gov.in) पर वितरित कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, एवरेस्ट, ५वीं मंजिल, १०० मरीन ड्राइव, मुंबई-४००००२, महाराष्ट्र को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भेजनी होगी:

पंजीकृत कार्यालय : सी/ओ सतीश कुमार गुप्ता, प्रथम तल, जी साड़ी के ऊपर, शोरूम, खुराना चौक के पास, अलवर, किशनगढ़, राजस्थान, भारत, ३०१४०५

दिनांक : ०१ मार्च, २०२५
स्थान : अलवर

इनके लिए एवं द्वारा :
कॉन्फिडेंटहायर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ताक्षर
सारिका लक्ष्मीकांत लाड
निदेशक
डीआईएन: 07787347

नाम परिवर्तन

मैं लीना गुप्ता (Leena Boosar) पत्नी श्री अजय कुमार बुसर (Ajay Kumar Boosar) निवासी प्लाट नम्बर 1314, बाबा हरीशचन्द्र मार्ग चांदपोल बाजार, जयपुर राजस्थान-302001 से बदलकर लीना गुप्ता (Leena Gupta) रख लिया है भविष्य में मुझे लीना गुप्ता (Leena Gupta) के नाम से जाना पहचाना जाए।

मैं धनश्री अजितराव कदम पत्नी आर्मी नं. 17004042H रैंक NK कदम अजितराव यशवंत निवासी डोंगरवाडी, तहसील-मिरज, सांगली, महाराष्ट्र ने भविष्य के लिए अपना नाम धनश्री से बदलकर धनश्री अजितराव कदम कर लिया है।

मैं कदम अजितराव यशवंत आर्मी नं. 17004042H रैंक NK निवासी डोंगरवाडी, तहसील-मिरज, सांगली, महाराष्ट्र ने भविष्य के लिए अपने सर्विस में अपने पुत्र का नाम कदम पियूष अजितराव से बदलकर पियूष अजितराव कदम कर लिया है।

मैं कदम अजितराव यशवंत आर्मी नं. 17004042H रैंक NK निवासी डोंगरवाडी, तहसील-मिरज, सांगली, महाराष्ट्र ने भविष्य के लिए अपने सर्विस में अपने अपनी पुत्री का नाम अन्विता से बदलकर अन्विता अजितराव कदम कर लिया है।

I, Banwari Lal Meena S/o Chhitar Lal Meena R/o Type 4-42B Anu Pratap Colony, Rawatbhata, Chittorgarh, Rajasthan - 323307, have changed my minor son's name from Yatharth Aged 14 Years to Yatharth Bankliya forever

विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों के लिए 59 करोड़ रुपए स्वीकृत

पावटा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विराटनगर विधानसभा क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनकड की अनुसंशा पर 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट के पश्चात जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आमजन की बड़ी हुई अपेक्षाओं के कारण प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आमजन का सम्मान करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने नवीन घोषणाए करते हुए विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में 59 करोड़ की सड़क स्वीकृत करवाकर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी है।

विधायक कुलदीप धनकड निजी सहायक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि एम डी आर प्रागपुरा से किडारोद, मालेरा के जोहड़ से सामोता की ढाणी राष्ट्रीय राजमार्ग 48 तक, भाबरु राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से जवानपुरा होते हुए बागावास चौरासी तक,राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पेट्रोल पंप से तुलसी पुरा वाया तलियारा, आंतेला पीपली स्टैंड से

■ **विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाकर परिवहन सुविधाओं को बेहतर करने का काम लगातार जारी : धनकड़**

छीतोली वाया किशनपुरा, सूरजपुरा तक 8.2 किमी. तक सड़क,राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जाजेकलां एस एच-13 साईवाड मोड तक वाया रामपुरा, छापर की ढाणी, जलेबी चौक, बाडीजोड़ी साईवाड तक 7 मीटर चौड़ाई की 5 सड़कों के लिए 59 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस सड़क निर्माण से क्षेत्र के कई गांवों को आवागमन में सुलभता होगी तथा समय व धन की बचत होगी। विधायक कुलदीप धनकड ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शीघ्र कार्य शुरू करवा कर गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए हैं। विधायक कुलदीप धनकड ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और जनता को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास रहता है।

विधायक धनकड ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाकर परिवहन सुविधाओं को बेहतर करने का काम लगातार जारी है। क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर शिक्षित व विकसित विराटनगर विधानसभा के संकल्प को पूरा करने कि दिशा में लगातार तेज गति से काम किया जा रहा है।

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, मनोहरपुर, जिला-जयपुर ग्रामीण (राज.)
E-mail: npmanoharpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक-न.पा.मनो./भूमि/2024-25/1761 दिनांक-28.02.2025

प्रारूप-10 (नियम (7) देखिए)

लोक सूचना

आवेदनकर्ता आशा राम बेनीवाल, काना राम बेनीवाल, किशोरी लाल बेनीवाल पुत्र श्री राम लाल बेनीवाल, निवासी वार्ड नं. 29 अम्बडकर नगर, मनोहरपुर, उपतहसील-मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन (मिश्रित) आवासीय/व्यावसायिक उपयोग हेतु ऐसी भूमि अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। अर्थात

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्र (वर्गमीटर)	प्रयोजनार्थ (वर्गमीटर)
जिला - जयपुर उप तहसील-मनोहरपुर तह.शाहपुरा	मनोहरपुर	5294, 5295/2	6400.00	(मिश्रित) आवासीय/ व्यावसायीक 6400.00

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1956 की धारा 63 के अधिनियम पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर किसी कार्यालय दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षर के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त वर्णित समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक.... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका मनोहरपुर

सियाराम दास महाराज का मेला और भंडारा 18 मार्च को

नारायणपुर । कस्बा स्थित सियाराम दास महाराज का वार्षिक मेला एवं भंडारा 18 मार्च को धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन मंदिर महंत श्याम सुंदर दास महाराज के सानिध्य में संपन्न होगा। शिष्य मोहनदास महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी, जिसमें स्थानीय कलाकार जयराम ठेकला और जगराम महासी द्वारा नेहडा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद सुबह 11:15 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु पंगत प्रसादी ग्रहण करेंगे। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। रात्रि में भक्ति संध्या का विशेष आयोजन किया जाएगा।

लोक अदालत को सफल बनाने हेतु मीटिंग आयोजित

सांभरझील, (निसं)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सैशन न्यायाधीश) अजीत कुमार हिंगर, जयपुर के निर्देशन में अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति (अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, क्र.स.1) सांभर अरविन्द कुमार जांगिड ने 8 मार्च को आयोजित होने वाली इस साल की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु मीटिंग आयोजित की, जिसमें न्याय क्षेत्र के बैंक/वितिय संस्थान, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पी.एच.ई.डी., जे.वी.वी.एन.एल. आदि विभाग के अधिकारी/ प्रतिनिधिअधिवक्ता की मौजूदगी रही। मीटिंग में राजीनामा योग्य प्रकरणों में राजीनामें के माध्यम से न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु पूर्ण प्रयास कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। सार्वजनिक निर्माण विभाग से मुकेश कुमार रणवा, बैंक आफ इण्डिया से राजू राम जाट, यूको बैंक से हितेश, एरीसल मीणा, भारतीय स्टेट बैंक से सुनील यादव, कनिष्ठ अभियंता सुरेश विश्नोई, बैंक आफ इण्डिया से जितेंद्र तंवर, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से अभिषेक गुप्ता, विधुत विभाग से फूलचन्द, जी.एल. जाट, पीएच ईडी से मुलेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष जांगिड़ द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना प्रकरणों के राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारान में समझोता वार्ता से निस्तारण करने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/ कंपनियों व बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि के साथ जरिए विडियों कांफ्रेंसिंग मीटिंग आयोजित की गई। मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरणों में पक्षकारान के साथ समझौता वार्ता की जाकर अधिकाधिक मोटर वाहन दुर्घटना के प्रकरणों हेतु आश्वासन वित्त संस्थान बीमा कंपनी के प्रतिनिधिगण ने प्रदत किया।

मैरिज गार्डन व धर्मशालाऐं बोर्ड के आदेशो की उड़ा रहै धज्जियां

मालपुरा। मालपुरा शहर मे बिना निकाय प्रशासन की स्वीकृति के चल रहै दर्जनो मैरिज गार्डन व धर्मशालाऐ प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं शराये एक्ट नियमो की खुले आम धज्जियां उडा रहै है। मैरिज गार्डनो से बाहर फैंके प्रतिबंधित पॉलिथीन, डिस्पोजल व अपशिष्ट खाने से आये दिन दर्जनो की संख्या मे निराश्रित गोवंश व अन्य पशु हो रहै अकाल मौत का ग्रास। इतना ही नही इन अपशिष्ट पदार्थो स उठती दुर्गन्ध से आसपास की अवासीय कॉलोनी के वासिंदो व राहगीरो के साथ-साथ धार्मिक स्थल एवं शिक्षा के मंदिर मे जाने वाले विधार्थी व श्रद्धालू दुषित प्रदुषण मे श्वास लेने को हो रहै मजबूर। किसी भी गार्डन संचालक के पास प्रदुषण नियंत्रण बार्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र नही होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन की उदासीनता व मौन स्वीकृति से नियम कायदो की उड रही है धज्जियां। तो बैजुबान मवेशी व पशु हो रहै है अकाल मौत का शिकार। नियमानुसार मैरिज गार्डन चलाने के लिये कम से कम एक हैक्टेयर भूमि संचालक के स्वामित्व की होना आवश्यक है। स्कुल,कॉलेज व चिकित्सालय के आसपास मैरिज गार्डनो के संचालनो पर प्रतिबंधित है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक | India Post Payments Bank

(भारत सरकार का उपक्रम)
कार्पोरेट कार्यालय, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग, भाई वीर सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001

संविदा आधार पर 51 सर्कल आधारित एग्जीक्यूटिव की भर्ती

विज्ञापन सं. IPPB/CO/HR/RECT./2024-25/06

निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते है-

पद/पदनाम	रिक्तियों की संख्या	आयु (01.02.2025 तक)	अनारक्षित	आरक्षित रिक्तियां (बैकलॉग रिक्तियों सहित)			
				ईडब्ल्यूए सं.	अ.पि.व. (नॉन क्रीमी लेयर)	अनु.ज.	अनु.ज. न.ज.
एग्जीक्यूटिव	51	21 से 35 वर्ष	13	03	19	12	04

भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार दिव्यांग व्यक्तियों (न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता) के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

1.	आवेदन की ऑनलाइन पंजीक